


मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

आदेश

क्रमांक/ एफ/ आर-501/2021/20-3 :-मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 की धारा 3 के उप नियम (2) खण्ड-4 के अनुक्रम में निजी विद्यालयों के द्वारा विभाग द्वारा निर्धारित पोर्टल पर फीस संरचना अपलोड करने के लिये प्रक्रिया फीस संरचना निम्नानुसार नियत की जाती है :-

क्र.	विद्यालय का नामांकन/ छात्रसंख्या	संस्थाओं हेतु जमा किये जाने वाला निर्धारित शुल्क (प्रतिवर्ष)
1	विद्यालय जिनका नामांकन 2000 से अधिक है।	रूपये 5000 /-
2	विद्यालय जिनका नामांकन 1001 से 2000 तक है	रूपये 3000 /-
3	विद्यालय जिनका नामांकन 501 से 1000 तक है	रूपये 2000 /-
4	विद्यालय जिनका नामांकन 500 तक है	रूपये 1000 /-

2/ उक्त आदेश शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से प्रभावशील रहेगा।



18/4/2022

(प्रनोद सिंह)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 19/4/22

पू.क्र./242/501/2021/20-3
प्रतिलिपी:-

1. निज सहायक माननीय मंत्रीजी म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार)।
2. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल।
3. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.भोपाल।
4. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र.।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
6. समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, म.प्र.।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
9. क्षेत्रीय अधिकारी, सी.बी.एस.ई.भोपाल।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
11. समस्त सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग।
12. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, मध्यप्रदेश।
13. समस्त संकुल प्राचार्य मध्यप्रदेश।
14. समस्त निजी विद्यालय मध्यप्रदेश।
15. रिकार्ड रूम, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।


18/4/2022

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

